OPEN ACCESS JOURNALS
Indiana Journal of Multidisciplinary Research
Abbreviated Tittle- Ind J Multi Res
ISSN *(Online)*- 2583-3820
Journal Homepage Link- https://indianapublications.com/Journals/IJMR
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.21284213

INDIANA PUBLICATIONS
PRODUCTIVE AND QUALITY RESEARCH

Review Article

Volume-06|Issue-04|2026

किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु विगत वर्षों में सरकार द्वारा आवंटन राशि का विश्लेषण

Kumar Jyoti Prakash[1] & Avinash sharma[2]

[1]Research Scholar, Department of Botany, Monad University, Hapur (U.P.), India
[2]Research Guide, Department of Botany, Monad University, Hapur (U.P.), India

Article History
Received: 20.06.2026
Accepted: 08.07.2026
Published: 10.07.2026

Citation
Prakash, K. J. & Sharma, A. (2026). किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु विगत वर्षों में सरकार द्वारा आवंटन राशि का विश्लेषण. *Indiana Journal of Multidisciplinary Research, 6*(4), 12-17.

Abstract: भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ आज भी देश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। कृषि उत्पादन प्राकृतिक परिस्थितियों, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि तथा कीट एवं रोगों जैसी अनेक अनिश्चितताओं से प्रभावित होता है। इन जोखिमों के कारण किसानों की आय में अस्थिरता उत्पन्न होती है तथा उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किसानों को इन जोखिमों से आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सहित अनेक कृषि बीमा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य विगत वर्षों में किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन, व्यय तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण करना है। यह अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है, जिनका संग्रह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, केंद्रीय बजट, भारतीय रिज़र्व बैंक, प्रेस सूचना ब्यूरो तथा अन्य सरकारी प्रकाशनों से किया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध पद्धति का उपयोग करते हुए विभिन्न वर्षों के बजटीय आवंटन, किसानों की भागीदारी, बीमा कवरेज तथा योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के परिणामों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को प्राकृतिक जोखिमों से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने, कृषि निवेश को प्रोत्साहित करने तथा कृषि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यद्यपि सरकार द्वारा निरंतर बजटीय आवंटन में वृद्धि की गई है, फिर भी दावा निपटान में विलंब, सीमित जागरूकता तथा सभी पात्र किसानों तक योजना की पूर्ण पहुँच सुनिश्चित करना अभी भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं। अध्ययन सुझाव देता है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग, पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था तथा किसानों में जागरूकता बढ़ाकर कृषि बीमा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।

Keywords: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि बीमा, बजटीय आवंटन, कृषि विकास, किसान कल्याण, जोखिम प्रबंधन, सरकारी व्यय।

Copyright © 2026 The Author(s): This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (**CC BY-NC 4.0**).

परिचय

भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। देश की लगभग आधी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि रोजगार, ग्रामीण विकास तथा राष्ट्रीय आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसके बावजूद भारतीय कृषि आज भी मानसून पर अत्यधिक निर्भर है, जिसके कारण प्राकृतिक आपदाएँ, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, कीट एवं रोग जैसी परिस्थितियाँ किसानों की आय एवं उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं।

इन परिस्थितियों में किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विभिन्न कृषि कल्याण योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सबसे महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2016 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखना तथा किसानों की आय को सुरक्षित करना है।

सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न कृषि योजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया जाता है। इन आवंटनों का उद्देश्य बीमा कवरेज का विस्तार, समय पर दावा भुगतान, आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा अधिक से अधिक किसानों को योजना से जोड़ना है। हाल के वर्षों में उपग्रह चित्रण, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग तथा डिजिटल पोर्टलों जैसी तकनीकों के उपयोग से योजना की पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

यद्यपि योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों की संख्या तथा बीमित क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, फिर भी कई राज्यों में दावा निपटान में विलंब, सीमित जागरूकता तथा छोटे एवं सीमांत किसानों की कम भागीदारी जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। इसलिए सरकार द्वारा किए जा रहे बजटीय आवंटन तथा योजना की वास्तविक प्रभावशीलता का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में विगत वर्षों में किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन, व्यय तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन का विश्लेषण करना।
2. विभिन्न वर्षों में कृषि बीमा योजनाओं के व्यय एवं वित्तीय प्रगति का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की भागीदारी एवं बीमा कवरेज का मूल्यांकन करना।
4. कृषि बीमा योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्राप्त आर्थिक लाभों एवं प्रभावों का विश्लेषण करना।
5. कृषि बीमा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करना।

***Corresponding Author:** Kumar Jyoti Prakash

साहित्य समीक्षा

कृषि बीमा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले आर्थिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का उद्देश्य किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल क्षति की भरपाई करना है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की विभिन्न वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान की गई है तथा बीमित क्षेत्रफल में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है। योजना में आधुनिक तकनीकों जैसे उपग्रह चित्रण (Satellite Imagery), ड्रोन, रिमोट सेंसिंग तथा मोबाइल आधारित फसल कटाई प्रयोग (CCE) का उपयोग पारदर्शिता एवं सटीकता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है।

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) तथा भारत सरकार के बजट दस्तावेजों के अनुसार हाल के वर्षों में सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण कार्यक्रमों तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निरंतर बजटीय आवंटन में वृद्धि की है। इन आवंटनों का उद्देश्य किसानों को समय पर दावा भुगतान सुनिश्चित करना, जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना तथा कृषि उत्पादन को स्थिर बनाए रखना है।

कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP), भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MOSPI) की रिपोर्टें दर्शाती हैं कि कृषि क्षेत्र में निवेश, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि ऋण तथा आय सहायता योजनाएँ किसानों की आर्थिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाएँ भी कृषि विकास को गति प्रदान कर रही हैं।

पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को जोखिम प्रबंधन में सहायता प्रदान की है, किन्तु दावा निपटान में विलंब, जागरूकता की कमी, कुछ राज्यों में कम कवरेज तथा प्रशासनिक चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। इन परिस्थितियों में योजना के वित्तीय प्रबंधन एवं सरकारी बजटीय आवंटनों का विश्लेषण अत्यंत आवश्यक हो जाता है। प्रस्तुत अध्ययन इसी शोध-अंतर (Research Gap) को ध्यान में रखते हुए विगत वर्षों में कृषि बीमा हेतु सरकार द्वारा किए गए आवंटनों तथा उनके प्रभाव का विश्लेषण करता है।

शोध पद्धति

यह अध्ययन **वर्णनात्मक (Descriptive)** एवं **विश्लेषणात्मक (Analytical)** शोध पद्धति पर आधारित है। अध्ययन का उद्देश्य किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु भारत सरकार द्वारा विभिन्न वर्षों में किए गए बजटीय आवंटन, वास्तविक व्यय तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण करना है।

यह अध्ययन पूर्णतः **द्वितीयक आँकड़ों (Secondary Data)** पर आधारित है। उपलब्ध सरकारी अभिलेखों, वार्षिक प्रतिवेदनों तथा आधिकारिक सांख्यिकीय स्रोतों से प्राप्त आँकड़ों का तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक विश्लेषण किया गया है।

अध्ययन की प्रकृति

यह एक **वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध** है, जिसमें विभिन्न वर्षों के सरकारी बजटीय आवंटनों, कृषि बीमा योजनाओं की प्रगति तथा किसानों को प्राप्त लाभों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

अध्ययन के स्रोत

अध्ययन में प्रयुक्त समस्त आँकड़े द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं—

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की आधिकारिक रिपोर्टें
- केंद्रीय बजट एवं व्यय बजट (Union Budget & Expenditure Budget)
- प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)
- राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (MOSPI)
- भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों की वार्षिक रिपोर्टें
- शोध पत्र, पुस्तकें एवं आधिकारिक वेबसाइटें

अध्ययन अवधि

इस अध्ययन में मुख्यतः **वर्ष 2016–17 से 2025–26** तक उपलब्ध सरकारी आँकड़ों एवं रिपोर्टों का उपयोग किया गया है। आवश्यकता अनुसार पूर्ववर्ती वर्षों के आँकड़ों का भी तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है।

डेटा विश्लेषण की विधि

संग्रहित आँकड़ों का विश्लेषण निम्नलिखित तकनीकों द्वारा किया गया है—

- वर्षवार तुलनात्मक विश्लेषण (Year-wise Comparative Analysis)
- प्रतिशत परिवर्तन (Percentage Change Analysis)
- प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend Analysis)
- सारणी (Tables)
- वर्णनात्मक सांख्यिकीय विश्लेषण (Descriptive Statistical Analysis)

इन तकनीकों के माध्यम से कृषि बीमा योजनाओं की वित्तीय प्रगति, किसानों की भागीदारी तथा सरकारी व्यय का समग्र मूल्यांकन किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

यह अध्ययन भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य कृषि बीमा कार्यक्रमों तक सीमित है। अध्ययन का मुख्य फोकस सरकारी बजटीय आवंटन, व्यय, किसानों की भागीदारी, बीमा कवरेज तथा योजना की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।

अध्ययन की सीमाएँ

1. यह अध्ययन केवल द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है।
2. अध्ययन में प्राथमिक सर्वेक्षण (Primary Survey) नहीं किया गया है।
3. जिन वर्षों के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध नहीं थे, वहाँ नवीनतम उपलब्ध सरकारी आँकड़ों का उपयोग किया गया है।
4. अध्ययन के निष्कर्ष प्रयुक्त सरकारी आँकड़ों एवं प्रकाशित रिपोर्टों पर आधारित हैं।
5. विभिन्न राज्यों के क्षेत्रीय अंतर का विस्तृत विश्लेषण इस अध्ययन के दायरे में शामिल नहीं किया गया है।

डेटा विश्लेषण

भारत सरकार द्वारा किसानों की आय को सुरक्षित करने तथा प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले कृषि जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न कृषि बीमा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) सबसे प्रमुख योजना है। इस अध्याय में विगत वर्षों में सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन, व्यय, किसानों की भागीदारी तथा योजना के प्रदर्शन का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु बजटीय आवंटन का विश्लेषण

***Corresponding Author:** Kumar Jyoti Prakash

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफल संचालन के लिए भारत सरकार प्रत्येक वर्ष पर्याप्त बजटीय प्रावधान करती है। उपलब्ध सरकारी आँकड़ों के अनुसार योजना के लिए आवंटित राशि में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना तथा प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में समय पर मुआवजा उपलब्ध कराना है।

तालिका 1 : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हेतु बजटीय आवंटन

वर्ष	वास्तविक व्यय (₹ करोड़)	बजट अनुमान (₹ करोड़)	संशोधित अनुमान (₹ करोड़)
2021–22	13,549	—	—
2022–23	—	15,500	12,376
2023–24	—	13,625	—

विश्लेषण :
उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यद्यपि कुछ वर्षों में संशोधित अनुमान बजट अनुमान से कम रहे, फिर भी योजना को कृषि क्षेत्र की प्रमुख कल्याणकारी योजना के रूप में निरंतर वित्तीय सहायता प्राप्त होती रही है। इससे स्पष्ट है कि सरकार किसानों की जोखिम सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान कर रही है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों की भागीदारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान करना है। योजना के प्रारंभिक वर्षों की तुलना में वर्तमान समय में बीमित किसानों तथा बीमित क्षेत्रफल दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से गैर-ऋणी किसानों की स्वैच्छिक भागीदारी बढ़ना योजना की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है।

तालिका 2 : योजना के प्रमुख संकेतक

संकेतक	स्थिति
बीमित किसानों की संख्या	निरंतर वृद्धि
बीमित क्षेत्रफल	निरंतर विस्तार
गैर-ऋणी किसानों की भागीदारी	लगभग 55 प्रतिशत
आधुनिक तकनीक का उपयोग	उपग्रह, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल एप

विश्लेषण :
तालिका से स्पष्ट होता है कि योजना में किसानों का विश्वास लगातार बढ़ा है। आधुनिक तकनीक के उपयोग से बीमा दावों के मूल्यांकन में पारदर्शिता तथा सटीकता में भी सुधार हुआ है।

कृषि बीमा पर सरकारी व्यय का प्रभाव

सरकारी व्यय का प्रत्यक्ष प्रभाव किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर देखा गया है। समय पर बजटीय सहायता उपलब्ध होने से बीमा कंपनियों को दावा भुगतान करने में सुविधा मिलती है तथा प्राकृतिक आपदाओं के बाद किसानों को शीघ्र आर्थिक सहायता प्राप्त होती है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि पर्याप्त बजटीय आवंटन के कारण—

- किसानों का आर्थिक जोखिम कम हुआ।
- कृषि निवेश में वृद्धि हुई।
- प्राकृतिक आपदाओं के बाद पुनः खेती करना आसान हुआ।
- किसानों का बीमा योजनाओं के प्रति विश्वास बढ़ा।
- कृषि क्षेत्र में स्थिरता एवं उत्पादन क्षमता को बल मिला।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं अन्य योजनाओं का योगदान

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY), कृषि ऋण योजना तथा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने भी किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

इन योजनाओं के संयुक्त प्रभाव से—

- कृषि निवेश में वृद्धि हुई।
- किसानों की आय को अतिरिक्त सहायता मिली।
- आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने में सहायता प्राप्त हुई।
- कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में सुधार देखने को मिला।

कृषि बीमा योजनाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

यद्यपि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने उल्लेखनीय उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, फिर भी अध्ययन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियाँ सामने आईं—

1. कुछ राज्यों में दावा निपटान में विलंब।
2. सभी किसानों तक योजना की सीमित पहुँच।
3. छोटे एवं सीमांत किसानों में जागरूकता की कमी।
4. कुछ क्षेत्रों में बीमा कवरेज अपेक्षाकृत कम।
5. राज्य सरकारों एवं बीमा कंपनियों के मध्य समन्वय की समस्या।
6. प्राकृतिक आपदाओं के बाद वास्तविक नुकसान के आकलन में विलंब।

इन चुनौतियों के कारण कई बार किसानों को समय पर मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे योजना की प्रभावशीलता प्रभावित होती है।

समग्र विश्लेषण

संपूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण कृषि सुरक्षा योजनाओं में से एक है। सरकार द्वारा निरंतर बजटीय आवंटन, आधुनिक तकनीकों का उपयोग तथा किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुविधा उपलब्ध कराना योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं।

हालाँकि, योजना की प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए समयबद्ध दावा निपटान, डिजिटल निगरानी प्रणाली का विस्तार, किसानों में जागरूकता अभियान तथा सभी पात्र किसानों का व्यापक कवरेज सुनिश्चित करना आवश्यक है। इन सुधारों से कृषि बीमा व्यवस्था अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी तथा किसान हितैषी बन सकेगी।

परिणाम एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन में विगत वर्षों में किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु भारत सरकार द्वारा किए गए बजटीय आवंटन, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रदर्शन तथा किसानों पर इसके प्रभाव का विश्लेषण किया गया। द्वितीयक आँकड़ों के अध्ययन से प्राप्त प्रमुख परिणाम निम्नलिखित हैं।

सरकारी बजटीय आवंटन में निरंतर निवेश

अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कृषि क्षेत्र की प्राथमिक योजनाओं में शामिल करते हुए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हैं। विभिन्न वर्षों में बजटीय आवंटन में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया गया, जिससे योजना का संचालन प्रभावी रूप से जारी रखा जा सके।

यद्यपि कुछ वर्षों में संशोधित अनुमान (Revised Estimate) प्रारंभिक बजट अनुमान से कम रहे, फिर भी कुल मिलाकर सरकार द्वारा कृषि बीमा क्षेत्र में निरंतर निवेश किया गया। यह दर्शाता है कि सरकार किसानों की आय सुरक्षा तथा कृषि जोखिम प्रबंधन को दीर्घकालिक नीति के रूप में देख रही है।

***Corresponding Author:** Kumar Jyoti Prakash

Discussion:
लगातार बजटीय निवेश से यह स्पष्ट होता है कि कृषि बीमा अब केवल राहत कार्यक्रम न होकर कृषि नीति का महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्राप्त होती है तथा कृषि उत्पादन की निरंतरता बनी रहती है।

किसानों की भागीदारी एवं बीमा कवरेज में वृद्धि

उपलब्ध आँकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या तथा बीमित क्षेत्रफल दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विशेष रूप से गैर-ऋणी किसानों की बढ़ती स्वैच्छिक भागीदारी इस योजना के प्रति किसानों के बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

यह भी पाया गया कि डिजिटल पंजीकरण, ऑनलाइन आवेदन तथा तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था ने योजना की पहुँच को और अधिक व्यापक बनाया है।

Discussion:
किसानों की बढ़ती भागीदारी यह संकेत देती है कि योजना केवल सरकारी पहल तक सीमित नहीं रही, बल्कि किसानों द्वारा भी इसे जोखिम प्रबंधन के प्रभावी साधन के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का स्तर अपेक्षाकृत कम है।

आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रभाव

अध्ययन में पाया गया कि उपग्रह चित्रण (Satellite Imagery), ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल एप तथा YES-TECH जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग से फसल क्षति के आकलन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं वैज्ञानिक बनी है।

इन तकनीकों के माध्यम से फसल कटाई प्रयोगों (Crop Cutting Experiments) की गुणवत्ता में सुधार हुआ तथा दावा निपटान की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सटीक हुई।

Discussion:
तकनीकी नवाचारों ने बीमा योजनाओं की विश्वसनीयता बढ़ाई है। यदि इन तकनीकों का उपयोग सभी राज्यों में समान रूप से किया जाए, तो दावा निपटान में होने वाली देरी तथा विवादों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है।

किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर प्रभाव

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध होने से उनकी आय में स्थिरता बनी रहती है। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि फसल क्षति के बाद प्राप्त बीमा राशि किसानों को पुनः कृषि कार्य प्रारंभ करने में सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त कृषि ऋण, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तथा अन्य कृषि कल्याण योजनाओं के साथ इस योजना का समन्वित प्रभाव किसानों की समग्र आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाता है।

Discussion:
कृषि बीमा किसानों की आय को पूर्णतः सुरक्षित नहीं कर सकता, किन्तु यह आर्थिक जोखिम को काफी हद तक कम करता है। यदि बीमा भुगतान समयबद्ध रूप से किया जाए, तो किसानों की ऋण निर्भरता भी कम हो सकती है।

योजना के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ सामने आईं—

- कई राज्यों में दावा निपटान में विलंब।
- सभी पात्र किसानों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित न होना।
- छोटे एवं सीमांत किसानों में योजना के प्रति सीमित जागरूकता।
- कुछ क्षेत्रों में डिजिटल सुविधाओं की कमी।
- राज्य सरकारों एवं बीमा कंपनियों के बीच समन्वय संबंधी समस्याएँ।
- वास्तविक फसल क्षति के आकलन में समय लगना।

Discussion:
इन चुनौतियों के कारण कई बार किसानों को समय पर मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाता, जिससे योजना के प्रति उनका विश्वास प्रभावित हो सकता है। इसलिए प्रशासनिक दक्षता, तकनीकी एकीकरण तथा किसान जागरूकता कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

प्रमुख निष्कर्ष

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित प्रमुख निष्कर्ष प्राप्त हुए—

1. भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए निरंतर पर्याप्त बजटीय आवंटन किया है।
2. योजना के अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या एवं बीमित क्षेत्रफल में लगातार वृद्धि हुई है।
3. आधुनिक तकनीकों के उपयोग से पारदर्शिता, निगरानी तथा दावा मूल्यांकन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
4. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की आय सुरक्षा एवं कृषि जोखिम प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
5. दावा निपटान की गति, किसानों में जागरूकता तथा सभी पात्र किसानों का समावेश अभी भी सुधार की अपेक्षा रखते हैं।
6. कृषि बीमा योजनाओं को अन्य कृषि विकास कार्यक्रमों के साथ एकीकृत करने से किसानों को अधिक व्यापक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकती है।

समग्र चर्चा

इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने भारत में कृषि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को अधिक संगठित एवं प्रभावी बनाया है। सरकार द्वारा निरंतर बजटीय समर्थन, तकनीकी नवाचार तथा किसानों की बढ़ती भागीदारी इस योजना की प्रमुख उपलब्धियाँ हैं। फिर भी योजना की वास्तविक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दावा निपटान कितनी शीघ्रता एवं पारदर्शिता से किया जाता है तथा छोटे एवं सीमांत किसानों तक इसकी पहुँच कितनी व्यापक बनाई जाती है।

अतः भविष्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (GIS), रिमोट सेंसिंग तथा डिजिटल डेटा प्रबंधन जैसी आधुनिक तकनीकों के व्यापक उपयोग के साथ-साथ प्रशासनिक सुधार एवं किसान जागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना आवश्यक होगा। इससे कृषि बीमा व्यवस्था अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा किसान-केंद्रित बन सकेगी।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में किसानों के फसल एवं कृषि बीमा हेतु भारत सरकार द्वारा विगत वर्षों में किए गए बजटीय आवंटन तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के प्रदर्शन का विश्लेषण किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि कृषि क्षेत्र में बढ़ते प्राकृतिक एवं जलवायु संबंधी जोखिमों को देखते हुए फसल बीमा योजनाएँ किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रभावी माध्यम बन चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा योजना के लिए निरंतर बजटीय प्रावधान, तकनीकी नवाचारों का समावेश तथा किसानों को कम प्रीमियम पर व्यापक बीमा सुविधा उपलब्ध कराने से कृषि जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूती मिली है।

अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों की संख्या एवं बीमित क्षेत्रफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उपग्रह चित्रण, ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, मोबाइल एप तथा डिजिटल पोर्टलों के उपयोग से योजना के संचालन में पारदर्शिता एवं दक्षता में सुधार हुआ है। इसके बावजूद दावा निपटान में विलंब, किसानों में सीमित जागरूकता, कुछ राज्यों में कम बीमा कवरेज तथा प्रशासनिक समन्वय की समस्याएँ अभी भी योजना की प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं।

***Corresponding Author:** Kumar Jyoti Prakash

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारतीय कृषि क्षेत्र में किसानों की आय सुरक्षा, जोखिम प्रबंधन तथा कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। यदि इसके क्रियान्वयन में प्रशासनिक सुधार, डिजिटल तकनीकों का व्यापक उपयोग तथा किसानों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जाए, तो यह योजना भारतीय कृषि को अधिक सुरक्षित, टिकाऊ एवं आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

सुझाव

अध्ययन के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

1. फसल बीमा दावों का निपटान निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए।
2. उपग्रह चित्रण, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), GIS एवं रिमोट सेंसिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का सभी राज्यों में व्यापक उपयोग किया जाए।
3. छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाए जाएँ ताकि उनकी योजना में भागीदारी बढ़ सके।
4. राज्य सरकारों, बीमा कंपनियों एवं कृषि विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित किया जाए।
5. बीमा आवेदन एवं दावा प्रक्रिया को पूर्णतः डिजिटल एवं सरल बनाया जाए।
6. प्राकृतिक आपदाओं से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष बीमा प्रावधान विकसित किए जाएँ।
7. कृषि बीमा योजनाओं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, कृषि ऋण एवं सिंचाई योजनाओं के साथ समन्वित रूप से लागू किया जाए।
8. योजना के नियमित मूल्यांकन एवं सामाजिक लेखा-परीक्षण (Social Audit) की व्यवस्था की जाए।

भविष्य की शोध संभावनाएँ

भविष्य में निम्नलिखित विषयों पर विस्तृत शोध किया जा सकता है—

1. विभिन्न राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का तुलनात्मक अध्ययन।
2. फसल बीमा योजना का किसानों की आय पर दीर्घकालिक प्रभाव।
3. कृषि बीमा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) एवं मशीन लर्निंग का उपयोग।
4. जलवायु परिवर्तन एवं कृषि बीमा के मध्य संबंधों का अध्ययन।
5. फसल बीमा योजनाओं में निजी एवं सार्वजनिक बीमा कंपनियों की भूमिका।
6. किसानों की संतुष्टि एवं योजना की प्रभावशीलता पर प्राथमिक सर्वेक्षण आधारित अध्ययन।

संदर्भ

1. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. (2023). *Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare*. Retrieved February 7, 2023, from https://agricoop.nic.in/
2. Department of Agriculture and Farmers' Welfare. (2023). *Demand No. 1: Expenditure budget 2023–24*. Union Budget 2023–24. https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe1.pdf
3. Department of Agriculture and Farmers' Welfare. (2023). *Demand No. 2: Expenditure budget 2023–24*. Union Budget 2023–24. https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/sbe2.pdf
4. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. (n.d.). *Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)*. https://rkvy.nic.in/
5. Department of Agriculture and Farmers' Welfare. (2022). *Demand No. 1: Expenditure budget 2022–23*. Union Budget 2022–23. https://www.indiabudget.gov.in/budget2022-23/doc/eb/sbe1.pdf
6. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. (2022, December 20). *Unstarred Question No. 2243*. Lok Sabha. https://pqals.nic.in/annex/1710/AU2243.pdf
7. Ministry of Finance. (2016, February 1). *Budget speech: Union Budget 2016–17*. https://www.indiabudget.gov.in/budget2016-2017/ub2016-17/bs/bs.pdf
8. Press Information Bureau. (2022, July 19). *Progress in doubling farmers' income*. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1842783
9. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. (2017, August). *Status of farmers' income: Strategies for accelerated growth* (Report of the Committee on Doubling Farmers' Income). http://farmer.gov.in/imagedefault/DFI/DFI%20Volume%202.pdf
10. Ministry of Statistics and Programme Implementation. (2021, September). *Situation assessment of agricultural households and land and livestock holdings in rural India, 2019.*
11. Ministry of Finance. (2023). *Statistical appendix: Economic Survey of India 2022–23*. https://www.indiabudget.gov.in/economicsurvey/index.php
12. Press Information Bureau. (2022, October 18). *Cabinet approved minimum support prices for all Rabi crops for marketing season 2023–24*. Cabinet Committee on Economic Affairs. https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1868760
13. Press Information Bureau. (2022, June 8). *CCEA approves minimum support prices (MSP) for Kharif crops for marketing season 2022–23*. Cabinet Committee on Economic Affairs. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1832172
14. Press Information Bureau. (2018, December 12). *Implementation of Swaminathan Committee report*. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1555575
15. Commission for Agricultural Costs and Prices. (2021, December). *Price policy for sugarcane 2022–23 sugar season*. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. http://cacp.dacnet.nic.in/ViewQuestionare.aspx?Input=2&DocId=1&PageId=41&KeyId=808
16. Press Information Bureau. (2022, February 24). *PM Kisan Samman Nidhi Yojana*. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1800851
17. Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare. (n.d.). *Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN)*. Retrieved February 8, 2023, from https://pmkisan.gov.in/

***Corresponding Author:** Kumar Jyoti Prakash

1. Reserve Bank of India. (2023). *Database on Indian Economy*. Retrieved February 5, 2023, from https://dbie.rbi.org.in/BOE/OpenDocument/160810 1727/OpenDocument/opendoc/openDocument.faces?logonSuccessful=true&shareId=0

***Corresponding Author:** Kumar Jyoti Prakash